



**कार्यालय - प्राचार्य, शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय छुरिया  
जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)**



Website - chhuriacollege.com Email chhuriacollege@gmail.com Phone & Fax - 07745 - 299273  
Accredited by NAAC with Grade "B"

क्रमांक / / जीसीसी / अ.व्या.वि. / 2024

छुरिया, दिनांक 15.07.2024

## अतिथि व्याख्याता हेतु विस्तृत विज्ञापन

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, का पत्र क्रमांक एफ 3-54/स्था./2020/38-1 दिनांक 20.06.2024 एवं कार्यालय-आयुक्त, उच्च शिक्षा, संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक - 574/126/आउशि/राज. स्था./2024 दिनांक 06.07.2024 के अनुसार (शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय छुरिया जिला-राजनांदगांव) में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अहंताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि कीड़ा अधिकारी हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 22 जुलाई 2024 शाम 05:30 बजे तक (अवकाश कालीन दिवसों को छोड़ कर) केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (इस कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

### विषय / रिक्त पदों का विवरण

क्र.	विषय	रिक्त पद एवं संख्या		
		अतिथि व्याख्याता / सहायक व्याख्याता	अतिथि ग्रंथपाल / सहायक ग्रंथपाल	अतिथि कीड़ा अधिकारी / सहायक कीड़ा अधिकारी
1	समाजशास्त्र	1		
2	भौतिकशास्त्र	1	1	1
3	रसायनशास्त्र	1		

टीप:-

- निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- चयन प्राकिया अतिथि व्याख्याता नीति-2024 जारी निर्देश के परिपालन में किया जावेगा तथा मानदेय भी उसी के अनुसार निर्धारित किया जायेगी।
- आवेदक सीलबंद में और लिफाफे के उपर में विषय, पता, मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से स्पष्ट अक्षरों में लिखे।
- रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- महाविद्यालय का पिन कोड 491558 है।

डॉ. सुषमा चौरे (नेताम्)

प्राक्षार्थी

शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय  
छुरिया जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक / २४७ / जीसीसी / अ.व्या.वि. / २०२४

छुरिया, दिनांक 15.07.2024

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
4. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
5. समस्त शासकीय महाविद्यालय छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
6. कार्यालयीन फोल्डर।

डॉ. सुषमा चौरे (नेताम)

प्राचार्य

शासकीय राजनांदगांव सूचनार्थी दबावी महाविद्यालय  
छुरिया जिला-संजनाटगाँव (छ.ग.)

छुरिया

जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

## 5. आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-

- 5.1 अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
- 5.2 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु-5.1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ-साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य-विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
- 5.3 आयु सीमा :— अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
- 5.4 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

**मेरिट हेतु अंकों का निर्धारण :-** अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की व्यवस्था हेतु वरीयता सूची तैयार करने के लिए अधिकतम अंकों का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा -

- (अ) इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खंडगढ़ - कुल अंक - 240  
(6.1 से 6.4 अनुसार 140 अंक + 100 अंक प्रदर्शन एवं साक्षात्कार हेतु)
- (ब) शेष राजकीय विश्वविद्यालयों हेतु - कुल अंक- 160  
(6.1 से 6.4 अनुसार 140 अंक + 20 अंक साक्षात्कार हेतु)
- (स) महाविद्यालयों हेतु - कुल अंक - 140  
(6.1 से 6.4 अनुसार 140 अंक)

6.1 पी-एच.डी./नेट/सेट/एम.फिल के लिये अधिकतम 50 अंक

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| (क) पी-एच.डी. के लिए | - 30 अंक |
| (ख) नेट/सेट के लिए   | - 20 अंक |
| (ग) एम.फिल. के लिए   | - 15 अंक |

6.2 स्नातकोत्तर स्तर पर अधिकतम 50 अंक -

(55 के लिए 5 अंक, 56 से 100 प्रत्येक 01 प्रतिशत के लिए 01 अंक दिया जायेगा)

6.3 शोध पत्रों के प्रकाशन हेतु अधिकतम 10 अंक -

(पी-एच.डी./एम.फिल.में प्रकाशित शोध पत्रों को छोड़कर यूजीसी केयर जर्नल्स में प्रकाशित प्रत्येक शोध पत्र पर 02 अंक)

6.4 अनुभव के लिए अधिकतम 30 अंक -

शासकीय महाविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर  
- 05 अंक

6.5 अतिथि व्याख्याता/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी की वरीयता सूची में प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा :-

- श्रेणी- 1 संबंधित विषय में पी-एच.डी.  
श्रेणी- 2 नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण  
श्रेणी- 3 संबंधित विषय में एम.फिल. धारक

6.6 अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक :-

अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के अंकों का न्यूनतम 50 प्रतिशत होना चाहिए।

### 3.7 विशेष टीप :-

1. विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में सर्वप्रथम अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी की व्यवस्था की जावेगी। श्रेणी-1 के अभ्यर्थी के नाम पर सर्वप्रथम विचार किया जाएगा। इस श्रेणी का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो क्रमशः श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के अभ्यर्थी के नामों पर विचार किया जाएगा। उक्त तीनों श्रेणी में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर ही अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथालय सहायक एवं अतिथि क्रीड़ा सहायक की व्यवस्था हेतु शेष अभ्यर्थी के नामों पर विचार किया जायेगा।
  2. अधिसूचित धोनों में स्थित महाविद्यालयों में उपर्युक्त वर्णित श्रेणियों में निर्धारित योग्यता वाले आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर ही अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक के अंतर्गत न्यूनतम अर्हता (स्नातकोत्तर में निर्धारित प्रतिशत) से न्यून अर्हता प्राप्त आवेदकों के आवेदन पर गुणानुक्रम के आधार पर विचार कर चालू शैक्षणिक सत्र के लिए अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा। किन्तु यह व्यवस्था योग्य अभ्यर्थी मिलने पर अथवा केवल चालू शैक्षणिक सत्र के लिए प्रभावशील होगी।
- 6.8 अतिथि व्याख्याता एवं अन्य द्वारा यदि चालू शिक्षा सत्र में उच्च शैक्षणिक अर्हता अर्जित की जाती है तो समिति द्वारा संबंधित मार्कशीट/उपाधि का सत्यापन करने के दिनांक से वरीयता क्रम में संशोधन एवं बढ़े हुए मानदेय के लाभ की पात्रता होगी। इस हेतु संख्या प्रमुख के समक्ष प्रमाण सहित आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 6.9 सत्र के मध्य में नियुक्ति अथवा स्थानांतरण से पदस्थापन होने के कारण विस्थापित अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी को संस्था प्रमुख द्वारा विस्थापन प्रमाण-पत्र के साथ उस सत्र का अनुभव प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा।
7. प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं अभिलेखीकरण :-

- 7.1 चयनित अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
- 7.2 चयनित अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र (परिशिष्ट-2) देना होगा कि उसके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।
- 7.3 कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा परीक्षण में अभिलेख सही पाये जाने के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

## 8. सेवा समाप्ति :-

- 8.1 शिक्षा सत्र के दौरान किसी विषय के रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति अथवा रथानांतरण से पदरथापना की रिथति में उक्त विषय के अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा र्हतः समाप्त मानी जायेगी एवं ऐसी रिथति में श्रेणी-1, 2 एवं 3 के अतिथि व्याख्याता/अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीड़ा अधिकारी विरथापित श्रेणी में माने जायेंगे।
- 8.2 यदि प्राध्यापक, राह-प्राध्यापक अथवा सहायक प्राध्यापक के एक ही विषय के विरुद्ध एक से अधिक अतिथि व्याख्याता कार्यरत है एवं भविष्य में नियमित नियुक्ति/रथानांतरण से एक पद भरे जाने की रिथति में उस विषय में मेरिट लिस्ट में कनिष्ठ अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति र्हतः निररत मानी जायेगी। यदि मेरिट लिस्ट में दो या दो से अधिक कनिष्ठ अतिथि व्याख्याताओं को समान अंक प्राप्त है तो आयु में कनिष्ठतम् अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति निररत मानी जायेगी।
- 8.3 इनके विरुद्ध प्राप्त शिकायत जांच में राही पाये जाने पर इनको 07 दिवस का कारण वताओं सूचना जारी किया जायेगा एवं उत्तर समाधान कारक नहीं पाये जाने की रिथति में प्राचार्य द्वारा इनकी व्यवरथा समाप्त करने की सूचना जारी की जायेगी।
- 8.4 जिन विषयों के अतिथि का मूल्यांकन निरंतर 03 बार संतोषजनक नहीं पाया जायेगा उन्हें आगामी सत्र में पुनः आमंत्रित न किया जाकर विज्ञापन के आधार पर संबंधित विषय में अतिथि व्यवरथा की जायेगी।
- 8.5 इनके द्वारा प्रत्युत शापथ पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या कोई भी अन्य दरतावेज फर्जी पाया जाता है तो किसी भी समय इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- 8.6 आवेदक यदि समय सीमा में कर्तव्य रथल पर उपरिथित नहीं होता है, तो उसकी व्यवस्था र्हतः निररत मानी जायेगी।
- 8.7 अतिथि व्याख्याता एवं अन्य द्वारा विना सूचना लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी व्यवरथा र्हतः समाप्त मानी जायेगी। इस आशय की लिखित सूचना प्राचार्य द्वारा संबंधित को जारी की जायेगी। सूचना देकर अवकाश में रहने की रिथति में प्रकरण का निराकरण प्राचार्य के विवेकाधीन होगा।

## 9. विस्थापन की व्यवस्था :-

किसी संस्थान में नियमित नियुक्ति अथवा रथानांतरण से पदस्थापना होने के कारण पद भरे जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत श्रेणी-1, 2 एवं 3 के अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी को विरथापित की श्रेणी में माना जायेगा।

- 9.1 विरथापित को अपने पूर्व संस्थान से विरथापन एवं कार्य सतोषजनक पाये जाने एवं अनुभव संबंधी निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-3) कार्यरत संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी किया जायेगा।

- 9.2 नियमित नियुक्ति/रथानांतरण से प्रभावित होने पर श्रेणी-1, 2 एवं 3 के विरस्थापित अध्यर्थी उसी जिले के अन्य संरक्षण में एवं उस जिले में पद रिक्त नहीं होने की विधति में उसी संभाग के अन्य जिले में एवं संभाग में रिक्त नहीं होने की विधति में राज्य के अन्य जिले में रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 9.3 प्रत्येक शिक्षा सत्र में 01 जून की विधति में महाविद्यालयवार एवं विषयवार रिक्तियों की जानकारी प्रत्येक महाविद्यालय (राज्य का), अग्रणी महाविद्यालय (जिले के समरत महाविद्यालयों का) एवं विभाग (राज्य के रामरत महाविद्यालयों का) की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। विरस्थापित अतिथि व्याख्याता निर्धारित प्रारूप अनुसार आवेदन, पूर्व रास्था के प्राचार्य द्वारा जारी विरस्थापन प्रमाण-पत्र एवं अनुग्रह प्रमाण-पत्र के साथ अधिकतम 03 महाविद्यालयों में 15 जून तक प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त रात्र के मध्य में भी किसी विरस्थापित व्याख्याता द्वारा किसी भी महाविद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करने की विधति में संबंधित प्राचार्य द्वारा विना विज्ञापन जारी किये विरस्थापित व्याख्याता की सेवाएं ली जा सकेंगी।
- 9.4 प्रत्येक महाविद्यालय में जिन रिक्त पदों के लिए विरस्थापित श्रेणी के आवेदकों से आवेदन प्राप्त होंगे उन पदों पर अतिथि की व्यवरथा हेतु विज्ञापन जारी नहीं किया जायेगा। यदि एक ही विरस्थापित का आवेदन प्राप्त होता है तो उसे इस व्यवरथा के अंतर्गत लिया जायेगा किन्तु एक से अधिक विरस्थापितों के आवेदन की विधति में उनकी परस्पर वरीयता अनुसार प्रथम स्थान प्राप्त विरस्थापित को इस व्यवरथा अंतर्गत लिया जायेगा। परस्पर वरीयता का निर्धारण कंडिका-06 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
- 9.5 श्रेणी-1, 2 एवं 3 के अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी के लिये नियमित पदरक्षण होने तक एवं कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आगामी शैक्षणिक सत्रों में विज्ञापन जारी नहीं किया जायेगा एवं उसी संस्थान में अध्यापन व्यवरथा के अंतर्गत रखा जायेगा।
- 9.6 जिन संस्थानों में अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक की सेवायें ली जाती है उन संस्थानों में प्रत्येक नवीन शिक्षा सत्र में विज्ञापन जारी किया जायेगा एवं अतिथि व्याख्याता/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी की उपलब्धता होने पर ही अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक के स्थान पर रखा जा सकेगा अन्यथा पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक की सेवायें यथावत ली जायेगी।
- 9.7 अधिसूचित क्षेत्र की जिन शिक्षण संस्थानों में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि में 55 अथवा 50 प्रतिशत न्यूनतम अंक को शिथिल करते हुए अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक की व्यवरथा की गई है, में भी नवीन शिक्षा सत्र में विज्ञापन जारी किया जाकर कंडिका-06 अनुसार वरीयता सूची अनुसार व्यवस्था की जायेगी।

2

0. मानदेय :— अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुरार होगा :-

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ)	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये		
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/-	300/-
2	चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/- (41,600/-प्रतिमाह अधिकतम)	1200/- (30,000/-प्रतिमाह अधिकतम)
(ब)	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये		
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/-	350/-
4	चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/- (50,000/-प्रतिमाह अधिकतम)	1400/- (35,000/-प्रतिमाह अधिकतम)
(स)	दैनिक मानदेय		
5	विवरण	अतिथि ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल सहायक/अतिथि क्रीड़ा सहायक
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600/-प्रतिदिन (40,000/-प्रतिमाह अधिकतम)	1200/-प्रतिदिन (30,000/-प्रतिमाह अधिकतम)

- 10.1 प्रायोगिक कक्षाओं की गणना करते समय 03 प्रायोगिक कक्षाओं को 02 रौद्रांतिक कक्षाओं के बराबर मान्य किया जायेगा।
- 10.2 अतिथि ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक के लिए प्रतिदिन 07 घंटा कार्य किया जाना अनिवार्य है।
- 10.3 महाविद्यालयों में अध्यापन हेतु शैक्षणिक कालखंडों के अतिरिक्त विद्यार्थियों के समुचित एवं चहुंमुखी विकास की दृष्टि से अन्य गतिविधियों का संचालन एवं कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य से अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, विभिन्न योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में भी सहयोग लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त वे ट्यूटोरियल, रेमेडियल वलासेस आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे।
- 10.4 कंडिका 10.3 में दर्शित विभिन्न प्रकार की अतिरिक्त कार्यों के लिये प्रति कार्य दिवस 01 कालखंड मानकर माह में अधिकतम 20 कालखंडों का भुगतान किया जायेगा।
- 10.5 अतिरिक्त कार्यों के लिये अतिथि व्याख्याता को प्रति कार्य दिवस 400/- रु. एवं 01 माह में अधिकतम 20 कार्य दिवसों के लिए 8000/- रु. देय होगा किन्तु किसी भी स्थिति में अध्यापन कालखंड हेतु मानदेय एवं अतिरिक्त कार्यों हेतु मानदेय को मिलाकर रु. 50,000 से अधिक का मासिक भुगतान नहीं किया जायेगा अर्थात् मासिक भुगतान की अधिकतम सीमा 50,000 रु. होगी। अतिथि शिक्षण सहायक को प्रति कार्य दिवस 300/- रु. एवं 01 माह में अधिकतम 20 कार्य दिवसों के लिए 6000/- रु. देय होगा।
- 10.6 अतिरिक्त कार्यों के लिए मानदेय प्रति माह दिये जाने वाले अध्यापन कालखंड के अधिकतम मानदेय के अतिरिक्त देय होगा।

## 11. अवकाश सुविधा:-

- 11.1 पी-एच.डी. हेतु कोर्स वर्क/शोध-ग्रंथ कार्य पूर्ण करने के आवेदन पर आवैतनिक पी-एच.डी. अध्ययन अवकाश रखीकृत किया जायेगा।
  - 11.2 प्रसूति (मातृत्व) अवकाश अधिकतम 180 दिवस के लिये दिये जायेंगे। प्रसूति अवकाश अवधि के लिए फिरी प्रकार का वेतन भुगतान नहीं किया जायेगा। संरथा द्वारा उक्त अवधि का अवैतनिक प्रसूति अवकाश (अतिथि) रखीकृत किया जायेगा।
  - 11.3 अधिकतम 180 दिवस से अधिक अवकाश पर रहने की स्थिति में अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को पुनः उसी महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी किन्तु नया विज्ञापन प्रकाशित होने की स्थिति में नियमानुसार आवेदन की पात्रता होगी।
  - 11.4 उक्त अवधि के दौरान अध्ययन-अध्यापन के सुचारू संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रतीक्षा सूची से अन्य वैकल्पिक व्याख्याताओं की व्यवस्था इस शर्त पर की जायेगी कि अवकाश में गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के पी-एच.डी. अध्ययन/प्रसूति अवकाश उपरान्त वापस कार्यभार ग्रहण करने पर वैकल्पिक व्याख्याता को उनके कार्य से खत्त कार्यमुक्त माना जायेगा।
  - 11.5 वैकल्पिक व्याख्याता को अध्यापन के एज में मानदेय एवं 01 शिक्षा सत्र में 05 माह तक अध्यापन पूर्ण करवाने की स्थिति में अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता होगी किन्तु विस्थापित श्रेणी की पात्रता नहीं होगी। अवकाश पर प्रस्थान किये अतिथि व्याख्याता एवं अन्य द्वारा अधिकतम 180 दिवस अवकाश का उपभोग के पश्चात् निर्धारित तिथि पर कार्य ग्रहण नहीं करने की स्थिति में संरथा प्रमुख द्वारा यदि वैकल्पिक व्याख्याता से आगे भी अध्यापन कार्य निरंतर रखा जाता है तब ऐसे वैकल्पिक व्याख्याताओं को विस्थापित श्रेणी की भी पात्रता होगी।
  - 11.6 वैकल्पिक व्याख्याता को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट-4) देना होगा।
  - 11.7 पी-एच.डी. अध्ययन/प्रसूति अवकाश लेने वाले अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य को उस अवधि के अनुभव का लाभ प्रदाय नहीं दिया जायेगा।
12. विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों की परीक्षाओं में आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन संबंधी :-
- श्रेणी-1. 2 एवं 3 के ऐसे अतिथि व्याख्याता जिन्हें 03 शैक्षणिक सत्र (न्यूनतम 15 माह) का अध्यापन अनुभव है, वे राज्य के विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों की समस्त परीक्षाओं में आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य संपादन कर सकते हैं। जिसका भुगतान संवंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा उनके मूल्यांकन हेतु प्रचलित नियमानुसार किया जायेगा। विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों की वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाओं के प्रश्न पत्र निर्माण कार्य की अनुमति नहीं होगी।

क्री

## न्यायालयीन प्रकरण :—

- 13.1 इस नीति के अनुसार अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की व्यवरथा की प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के भविष्य में जारी होने वाले निर्णयों के अध्यधीन होगी।
- 13.2 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जिन अतिथि व्याख्याताओं हेतु रथगन आदेश जारी किये हैं, ऐसे अतिथि व्याख्याताओं पर इस नीति के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
14. अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु अन्य निर्देश :—
  - 14.1 इसी नीति के तहत व्यवरथा किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन/गहाविद्यालयीन रथापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक-रोक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे।
  - 14.2 अतिथि व्यवरथा अंतर्गत प्रत्येक सत्र में अधिकतम 11 माह हेतु कार्य संपादन कराया जायेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत सेमेस्टर पद्धति लागू होने के उपरांत प्रत्येक सेमेस्टर उपरांत दिए जाने वाले अवकाश अवधि के अनुरूप वर्ष में 01 बार के रथान पर 02 बार ब्रेक दिये जाने के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किया जायेगा।
  - 14.3 संरक्षा प्रमुख का दायित्व होगा कि अतिथि व्याख्याता एवं अन्य (कंडिका 10.2 एवं कंडिका 10.5 अनुसार) के कार्य पर उपरिथित होने के दिनांक से दैनिक उपरिथित विवरण संधारित करें एवं तदनुसार मानदेय का मासिक देयक तैयार कर प्रति माह भुगतान सुनिश्चित करें।
  - 14.4 अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-5) में संधारित किया जायेगा। मूल्यांकन परिणाम असंतोषजनक होने की स्थिति में संबंधित को संसूचित करते हुए आगामी शिक्षा सत्र में कार्य में सुधार लाने हेतु चेतावनी जारी की जायेगी।
  - 14.5 एक साथ दो संरक्षणों में अध्यापन कार्य नहीं किया जायेगा।
  - 14.6 सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संरक्षा प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
  - 14.7 इस नीति को लागू करने की दृष्टि से भविष्य में नये परिशिष्ट को जोड़ना, पुराने परिशिष्ट में संशोधन अथवा समाप्त करना अथवा वर्तमान प्रस्तावित ऑफलाईन प्रणाली को ऑनलाईन प्रणाली में परिवर्तित करने संबंधी कार्यवाही का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय को होगा।
  - 14.8 इस नीति के क्रियान्वयन के दौरान किसी भी स्तर पर भ्रम अथवा विवाद की स्थिति में निर्देशों की व्याख्या का प्रथम अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को होगा।
  - 14.9 आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा दी गई व्याख्या से संतुष्ट न होने की स्थिति में प्रकरण में अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार सचिव, उच्च शिक्षा को होगा।
  - 14.10 इस नीति के अंतर्गत यदि कोई बिंदु शामिल नहीं हो सके हैं तो भविष्य में इन्हें शामिल करने हेतु प्रशासकीय विभाग सक्षम होगा।